



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 17 फरवरी, 1982

माघ 28, 1903 शक, सम्बत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 491 / सत्रह-वि०-1-98-1981

लखनऊ, 17 फरवरी, 1982

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1981 पर दिनांक 13 फरवरी, 1982 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 1982 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) अधिनियम, 1982

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1982]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ।)

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तृतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) अधिनियम 1982 कहा जायगा।

(2) यह 21 जुलाई, 1981 से प्रवृत्त समझा जायगा।

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

उत्तर प्रदेश अधि-
नियम संख्या 28
सन् 1979 की
द्वारा 3.का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979 की (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) धारा 3 में,—

(क) उपधारा (1) में, शब्द "एक सौ दस प्रतिशत" के स्थान पर शब्द "एक सौ पचास प्रतिशत" रख दिये जायेंगे ;

(ख) स्पष्टीकरण सहित उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्—

"(2) उपधारा (1) की कोई बात राज्य सरकार को विभिन्न क्षेत्रों के लिए या विभिन्न वर्गों के आमोद के लिए या आमोद में प्रवेश के लिए विभिन्न भुगतान के लिए आमोद कर की विभिन्न दरें अधिसूचित करने से प्रवारित नहीं करेगी";

(ग) उपधारा (3) में, शब्द "किसी आमोद में प्रवेश के लिये भुगतान और कर" के पश्चात् आये हुये शब्द और कोष्ठक "(जिसके अन्तर्गत अधिभार, यदि कोई हो, भी है)" और शब्द "आमोद में प्रवेश के लिए ऐसे भुगतान और कर का" के पश्चात् आये हुए शब्द और कोष्ठक "(जिसके अन्तर्गत अधिभार भी है)" निकाल दिये जायेंगे।

निरसन और
अपवाद

3—(1) उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1981 एतद्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा, यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
गंगा वरुण सिंह,
सचिव।

No. 491 (2) /XVII-V-1-98-1981

Dated Lucknow, February 17, 1982

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Amod Aur Pankar (Sanshodhan) Adhiniyam, 1982 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 1 of 1982), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented by the Governor on February 13, 1982.

**THE UTTAR PRADESH ENTERTAINMENTS AND BETTING TAX
(AMENDMENT) ACT, 1982**

(U. P. Act no. 1 of 1982)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN
ACT

to amend the Uttar Pradesh Entertainments and Betting Tax Act, 1979.

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-third Year of the Republic of India as follows:—

Short title and
commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Entertainments and Betting Tax (Amendment) Act, 1982.

(2) It shall be deemed to have come into force on July 21, 1981.

Amendment of
section 3 of U.P.
Act no. 28 of
1979.

2. In section 3 of the Uttar Pradesh Entertainment and Betting Tax Act, 1979 (hereinafter referred to as the principal Act),—

(a) in sub-section (1), for the words "one hundred and ten per cent" the words "one hundred and fifty per cent" shall be substituted;

(b) for sub-section (2), including the Explanation, the following sub-section shall be substituted, namely :-

"(2) Nothing in sub-section (1) shall preclude the State Government from notifying different rates of entertainment tax for different areas or for different classes of entertainment or for different payments for admission to entertainment." ;

(c) in sub-section (3), the words and brackets "(including surcharge, if any)", occurring after the words "for admission to an entertainment together with the tax" and the words and brackets "(including surcharge)" occurring after the words "for admission to entertainment and the tax" shall be omitted.

P. Ordinance no. 15 of 1981. 3. (1) The Uttar Pradesh Entertainments and Betting Tax (Second Amendment) Ordinance, 1981 is hereby repealed. Repeal and savings.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
G. B. SINGH,
Sachiv.